40–(08)–28–2016

पटना में दिनांक–31 मई, 2016 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

1.	पटना जिला के बिहटा थानान्तर्गत आई०आई०टी०, बिहटा (अमहारा) में ओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 13 (तेरह) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

2.	बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम–13(1) के आलोक में बैंड वेतन–15,600 – 39,100/–+ग्रेड वेतन–7600/–में कार्यरत उप सचिव को निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर) के पद पर बैंड वेतन–37,400–67,000/– +ग्रेड वेतन–8700/– में औपबंधिक प्रोन्नति देने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

3.	पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक–31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अनुमानित देय वार्षिक दायित्वों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 733.01 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद में उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं 733.01 करोड़ रूपये में से प्रथम चौमाही में बजट उपबंध का 33 प्रतिशत द्वितीय चौमाही में 32 प्रतिशत एवं तृतीय चौमाही में अवशेष राशि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

4.	विद्युत वितरण कम्पनियों के Operational एवं Financial Turn Around के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत उदय योजना के अंतर्गत दोनों वितरण कम्पनियों यथा नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड का कुल बकाये ऋण की राशि 3109.05 करोड़ रूपये की 50 प्रतिशत राशि यानि 1554.52 करोड़ रूपये के बॉण्ड निर्गत के विरूद्ध प्राप्त राशि में से साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को 913.26 करोड़ रूपये एवं नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को 641.26 करोड़ रूपये कुल 1554.52 करोड़ रूपये सहायता स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(निबंधन)

5. दस्तावेजों के Online Registration एवं स्टाम्प शुल्क का Online Payment करने पर देय स्टाम्प ड्यूटी की राशि का 1% (एक प्रतिशत), अधिकतम ₹ 2,000/–(दो हजार रूपये) तक की छूट प्रदान करने के संबंध में। — 5. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

6. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में तकनीकी सहायकों के रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत रहें कर्मियों को मात्र कैलेन्डर वर्ष 2015 में नियमित नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचनाओं के विरूद्ध, नियुक्ति में उनके द्वारा किए गए संतोषप्रद सेवा के लिए छः माह के उपर के अवधि को पूर्ण वर्ष मानते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए 2 (दो) अंक, अधिकतम 10 अंकों की अधिकतम अधिमानता दी जा सकेगी और अधिमानता को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में Over and above जोड़ कर, पूर्णांक 110 मानते हुए, मेधा सूची तैयार करने में जोड़ा जाएगा एवं Over-age होने की स्थिति में अधिकतम उम्र सीमा में, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन अनुबंध पर उनके द्वारा पूर्व में संपादित सेवा की अवधि के समतुल्य छूट दिए जाने के प्रावधान को 'अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक कर्मशाला संवर्ग नियमावली–2015 को संशोधित करते हुए उसकी धारा 5 (3) के रूप में जोड़े जाने के संबंध में। — 6. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

7. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में तकनीकी सहायकों के रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत रहें कर्मियों को मात्र कैलेन्डर वर्ष 2015 में नियमित नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचनाओं के विरूद्ध, नियुक्ति में उनके द्वारा किए गए संतोषप्रद सेवा के लिए छः माह के उपर के अवधि को पूर्ण वर्ष मानते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए 2 (दो) अंक, अधिकतम 10 अंकों की अधिकतम अधिमानता दी जा सकेगी और अधिमानता को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में Over and above जोड़ कर, पूर्णांक 110 मानते हुए, मेधा सूची तैयार करने में जोड़ा जाएगा एवं Over-age होने की स्थिति में अधिकतम उम्र सीमा में, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन अनुबंध पर उनके द्वारा पूर्व में संपादित सेवा की अवधि के समतुल्य छूट दिए जाने के प्रावधान को 'अभियंत्रण' एवं पोलिटेकनिक प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली–2015 को संशोधित करते हुए उसकी धारा 5 (3) के रूप में जोड़े जाने के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग

(निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण)

8. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष) के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2010 में संविदा के आधार पर नियोजित व्यवसाय अनुदेशकों में से कुल–212 (दो सौ बारह) व्यवसाय अनुदेशकों के नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1029 दिनांक–19.01.2012 एवं संकल्प संख्या–17415, दिनांक–20.12.12 को शिथिल करते हुए दिनांक–01.06.2016 से 31.05.2017 (एक वर्ष) तक अथवा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले घटित हो, के लिए अवधि विस्तार करने के संबंध में। — **8. स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

9. श्री प्रणवेश सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय (संप्रति निलंबित) मुख्यालयः– क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, भागलपुर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सं०–71/13 में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (x) यथासंशोधित नियम 14 (xi) (अधिसूचना संख्या–3/एम०–166/2006 का०– 2797 दिनांक–20.08.2007) के तहत "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी।" जिसके फलस्वरूप उन्हें पेंशन एवं उपादान आदि देय नहीं होगा, शास्ति अधिरोपित करने एवं निलंबन अवधि में श्री सिंह को भुगतान किये गये जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि देय नहीं होने के संबंध में। — **9. स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

10. श्री रामाधार राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीवान (संप्रति निलंबित) मुख्यालय क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का कार्यालय, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (x) यथासंशोधित नियम 14 (xi) (अधिसूचना संख्या–3/एम०–166/2006 का०– 2797 दिनांक–20.08.2007) के तहत "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी।" जिसके फलस्वरूप उन्हें पेंशन एवं उपादान आदि देय नहीं होगा शास्ति अधिरोपित करने एवं निलंबन अवधि में श्री राम को भुगतान किये गये जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि देय नहीं होने की शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में। — **10. स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

11. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में मुख्य अभियंता (असैनिक) वेतनमान ₹ 37,400–67,000+ग्रेड वेतन ₹ 8900/–से अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव वेतनमान ₹ 37,400–67,000+ग्रेड वेतन ₹ 10,000/– के पद पर प्रोन्नति। **11. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. किशनगंज जिले के ठाकुरगंज अंचल के मौजा, भातगाँव, थाना नं०–1, खाता सं०–687, खेसरा सं०–1946, रकबा–5.00 एकड़ गैर मजरूआ मालिक खास, बिहार सरकार, किस्म नदी भूमि, जिसकी वर्त्तमान प्रकृति आवासीय है, 30,000/–(तीस हजार) रू० प्रति डिसमिल की दर से 1,50,00,000/–(एक करोड़ पचास लाख) रूपया सलामी एवं सलामी के 5% अर्थात् 7,50,000 (सात लाख पचास हजार) रूपया वार्षिक लगान के 25 गुणा अर्थात् 1,87,50,000 (एक करोड़ सतासी लाख पचास हजार) रूपया पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–3,37,50,000 (तीन करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार) रूपया के भुगतान पर गृह मंत्रालय भारत सरकार को 36वीं बिहार बटालियन एस०एस०बी० सीमा चौकी भास्करभीठा के निर्माण हेतु स्थायी हस्तांतरण। **12. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. अररिया जिलान्तर्गत अंचल भरगामा के मौजा–जयनगर के थाना सं०–93, खाता सं०–467 एवं 422, खेसरा सं०–3069 एवं 3067, के क्रमशः रकबा–0.38 एवं 0.22 एकड़ सहित कुल रकबा–0.60 एकड़ कोशी प्रोजेक्ट हेतु अर्जित भूमि में 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 38,000/–(अड़तीस हजार) रू० प्रति डिसमिल की दर से 22,80,000/–(बाईस लाख अस्सी हजार) रू० मात्र सलामी एवं राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के तहत सलामी के 2 प्रतिशत लगान 45,600/–(पैंतालीस हजार छः सौ) रू० का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य 11,40,000/–(ग्यारह लाख चालीस हजार) रू० सहित कुल–34,20,000/–(चौतीस लाख बीस हजार) रू० मात्र के भुगतान पर नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। **13. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. किशनगंज जिले के ठाकुरगंज अंचलान्तर्गत मौजा–राजागाँव, थाना सं०–201, खाता सं०–48, खेसरा सं०–652, रकबा–1.25 एकड़ किस्म पुरानी परती, गैर मजरूआ खास, बिहार सरकार भूमि का एस०एस०बी० 12वीं बटालियन की आमबाड़ी, बी०ओ०पी० की स्थापना हेतु 6,900/–रू० प्रति डिसमिल की दर से 8,62,500 (आठ लाख बासठ हजार पाँच सौ) रूपया सलामी एवं सलामी के दो प्रतिशत (आवासीय) की दर से वार्षिक लगान 17,250/–(सतरह हजार दो सौ पचास) रूपये के 25 गुणा 4,31,250 (चार लाख एकतीस हजार दो सौ पचास) रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 12,93,750 (बारह लाख तिरानवे हजार सात सौ पचास) रूपये के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण। — 14. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

15. श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर (संप्रति निलंबित) मुख्यालयः– क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, भागलपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (x) यथासंशोधित नियम 14 (xi) (अधिसूचना संख्या–3/एम०–166/2006 का०– 2797 दिनांक–20.08.2007) के तहत "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी।" जिसके फलस्वरूप उन्हें पेंशनादि देय नहीं होगा शास्ति अधिरोपित करने एवं निलंबन अवधि में श्री सिंह को भुगतान किये गये जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि देय नहीं होने की शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

16. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में अधीक्षण अभियंता (असैनिक) वेतनमान ₹ 37,400–67,000+ग्रेड वेतन ₹ 8700/–से मुख्य अभियंता (असैनिक) वेतनमान ₹ 37,400–67,000+ग्रेड वेतन ₹ 8,900/– के पद पर प्रोन्नति। — 16. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

17. बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016 की स्वीकृति। — 17. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

18.	वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों में बजट उपबंध की कर्णांकित राशि ₹ 79292.84 लाख (सात सौ बानवे करोड़ बानवे लाख चौरासी हजार रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित करने हेतु एकमुश्त व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	18.	स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

19.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया, (संप्रति निलंबित) मुख्यालय :– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सं०–43/2011 में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (x) यथासंशोधित नियम 14 (xi) (अधिसूचना संख्या–3/एम०–166/2006 का०– 2797 दिनांक–20.08.2007) के तहत "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी।" शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में।	19.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

20.	वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के संबंध में।	20.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

21.	पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता (असैनिक) वेतनमान पी०बी०–4 (37400–67000/–) एवं ग्रेड पे 8700/– के पद से मुख्य अभियंता (असैनिक) वेतनमान पी०बी०–4 (37400–67000/–) एवं ग्रेड पे० 8900/– के पद पर प्रोन्नति एवं सूचीकरण (पैनल) के संबंध में।	21.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

22.	पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियंता (असैनिक) वेतनमान पी०बी०–4 (37400–67000/–) एवं ग्रेड पे० 8900/– के पद से अभियंता प्रमुख–सह– अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव वेतनमान पी०बी०–4 (37400–67000/–) एवं ग्रेड पे 10000/–के पद पर प्रोन्नति के संबंध में।	22.	स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

23.	बिहार के शौचालय विहीन परिवारों को लाभार्थी द्वारा घरेलू शौचालय का निर्माण एवं नियमित उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित योजना 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' एवं राज्य [illegible] योजना 'लोहिया स्वच्छता योजना' के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति।	23.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

24.	केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) को पुनर्नामित नाम "दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" (DAY-NULM) के नाम से क्रियान्वित किये जाने, योजना को 42 NULM शहरों के अतिरिक्त शेष सभी नगर निकायों में भी कार्यान्वित किये जाने तथा उस पर अनुपातिक राज्यांश की राशि का व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 मे सहायक अनुदान के रूप मे उपबंधित राशि ₹ 75.00 [illegible] के [illegible] की [illegible]।	24.	स्वीकृत।